

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 26/2019

GCMS No-2019/00076

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी :-
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		नवीन जैन पुत्र श्री जोहरीमल (विक्रेता) निर्माता फर्म मैसर्स- श्री पार्श्वनाथ एन्टरप्राइजेज जवड़िया पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011
उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

—: निर्णय :-

दिनांक:- 23-06-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी को बार बार आवाजे दिलवाई गई परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 18.5.2016 को दौराने गश्त मैसर्स- श्री पार्श्वनाथ एन्टरप्राइजेज जवड़िया पाली पर पहुंचा जहां पर अप्रार्थी नवीन जैन (विक्रेता) उपस्थित मिले जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की उपस्थिति में मैसर्स श्री पार्श्वनाथ एन्टरप्राइजेज जवड़िया पाली का निरीक्षण करने पर पाया की मैसर्स में खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर रखे हुए आईसक्रीम वनीला जिसको वह आमजन को बिक्री हेतु होना बताया, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह आईसक्रीम वनीला का नमूना वास्ते जांच एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हूं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा पर रखे हुए आईसक्रीम वनीला वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 100/-रूपये नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा आईसक्रीम वनीला को विक्रेता के सामने चार भागो में बांटकर चार



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

साफ सुखी व खाली शीशी में 300-300 एम.एल. बराबर मात्रा में लेकर उसमें 36-36 बुंद फार्मेलिन की बतौर प्रीजरवेटीव डालकर प्रत्येक शीशी को एयर टाइट बंद कर दिया और प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर-521 अंकित कर नमूने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, जिसे नियमानुसार पैक कर कार्यालय के कर्मचारी श्री मो. मोहसिन के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/592/एक्ट/2016/622 दिनांक 10.6.2016 के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया आईसक्रीम वनीला का नमूना क्रमांक आर-521 (Sub Standard) अवमानक स्तर का पाया गया। अप्रार्थी के आवेदन पर पुनः जांच हेतु रेफरल प्रयोगशाला पूणे भिजवाया गया जहां से Curdled होने के कारण जांच नहीं हो पाई। इस प्रकार अप्रार्थी नवीन जैन ने Sub Standard स्तर की आईसक्रीम वनीला का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली द्वारा अप्रार्थी की फर्म मैसर्स- श्री पार्श्वनाथ एन्टरप्राइजेज जवड़िया पाली से नमूना क्रमांक आर-521 आईसक्रीम वनीला का नमूना लेते समय नियमानुसार नमूना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.5.2016 को अप्रार्थी की फर्म से आईसक्रीम वनीला क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./592/एक्ट/2016/622 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार उक्त आईसक्रीम वनीला नमूना कोड संख्या आर-521 को (Sub Standard) अवमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) की आईसक्रीम



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

वनीला का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर रूपये 2,00,000/- अक्षरे दो लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभानु सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानु सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली